नियम 106 : अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण को अपील का प्ररूप और रीति

(1) आवेदक द्वारा, धारा 98 की उपधारा (6) के अधीन जारी अग्रिम विनिर्णय के विरूद्ध कोई अपील सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी एआरए–2** में की जाएगी और उसके साथ दस हजार रूपए की फीस संलग्न होगी जो धारा 49 में विनिर्दिष्ट रीति में जमा की जाएगी।

(2) धारा 98 की उपधारा (6) के अधीन जारी अग्रिम विनिर्णय के विरूद्ध अपील सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी एआरए–3** में धारा 100 में निर्दिष्ट संबंधित अधिकारी या अधिकारिता अधिकारी को की जाएगी और अपील फाइल करने के लिए उक्त अधिकारी द्वारा कोई फीस संदेय नहीं होगी।

(3) उपनियम (1) या उपनियम (2) में निर्दिष्ट अपील, उसमें अंतर्विष्ट सत्यापन और ऐसी अपील के साथ संलग्न सभी सुसंगत दस्तावेजों को,–

(क) संबंधित अधिकारी या अधिकारिता वाले अधिकारी की दशा में, ऐसे अधिकारी द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा; और

(ख) किसी आवेदक की दशा में, नियम 26 में विनिर्दिष्ट रीति से,

हस्ताक्षरित होंगे।